

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।

क्रमांक-जिशिअ/प्रा.शि./गंगा/मान्यता/2015/003

दिनांक:- 01-12-15


प्रबंधक,
तरुण शिक्षण प्रबंध समिति,
6 पीजीएम अनूपगढ़।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।


महोदय

आपके दिनांक 28.04.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं तरुण एकेडमी, चक 6 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (अंग्रेजी माध्यम) को 2015 से कक्षा 6 से 8 तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में या, यथास्थिति पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलामप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा - 12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी सक्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण-पत्र न होने के कारण प्रवेश से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम - 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसान निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 23(i) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ भर्ती किये जाए।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (i) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा - 19 के अधीन, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन में की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
विद्यालय परिसर का क्षेत्र - 108900 वर्ग फुट
कुल निर्मित क्षेत्र - 11108 वर्ग फुट
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल - 97792 वर्ग फुट
कक्षा कमरों की संख्या - 13
प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सह-भंडार कक्ष - 02
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - 07
पेयजल सुविधा- उपलब्ध है।
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई- उपलब्ध है।
बाधा रहित पहुंच- उपलब्ध है।
विद्यालय के परिसर के भीतर/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1321 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
19. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्र.श.) श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक-जि.श.अ./प्रा.शि./गंगा/मान्यता/2014/112

दिनांक:- 13-8-2014

प्रबंधक,

तरुण शिक्षण प्रबंध समिति,
6 पी.जी.एम. अनूपगढ़।

मान्यता कोड संख्यांक:- 1321

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय

आपके दिनांक 05.06.2014 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं तरुण एकेडमी, चक 6 पी.जी.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (माध्यम-बिना) को दिनांक 24.07.2014 से 24.07.2017 तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने का निर्णय देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा - 12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी सक्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण-पत्र न होने के कारण प्रवेश से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम - 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसंधान निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (i) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर

- (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (I) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 के अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन में की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र - 37400 वर्ग फुट
- कुल निर्मित क्षेत्र - 5850 वर्ग फुट
- क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल - अकिंत नहीं।
- कक्षा कमरों की संख्या - 05
- प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सह-भंडार कक्ष - 01
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - 02
- पेयजल सुविधा- उपलब्ध है।
- मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई- उपलब्ध नहीं है।
- बाधा रहित पहुंच- उपलब्ध है।
- विद्यालय के परिसर के भीतर/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1321 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
19. संलग्न उपाबन्ध- III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीगंगानगर

--: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प-9(3) शिक्षा-5/ऑनलाईन मान्यता/2015 जयपुर दिनांक 11.4.16 की पालना में एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/माध्य/अ-2/21313/2016-17 दिनांक 20.9.16 के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नांकित निजी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016-17 में नीचे लिखित शर्तों के अध्याधीन उ०प्रा०वि० स्तर से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	क्रमोन्नत संस्था का नाम	माध्यम
1	सिटी मोन्टेसरी चिल्ड्रन स्कूल बार्ड नं. 5 रावला मण्डी	हिन्दी
2	तरुण एकेडमी स्कूल 6 पीजीएम अनूपगढ़	हिन्दी
3	किड्स पैराडाईज कॉवेंट स्कूल बार्ड नं. 12 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर	हिन्दी

1. सत्र 2016-17 में कक्षा 9 व सत्र 2017-18 में कक्षा 10 प्रारम्भ होगी
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र-क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
4. विद्यालय का नाम /भवन/वर्ग /माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनायें/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
6. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।

(मांगेलाल बुडानिया)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक श्रीगंगानगर
दिनांक 08-10-2016

क्रमांक जिशिअ/मा/गंगा/मान्यता/2016/399
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-


1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर।
3. संबंधित संस्था
4. रक्षित पत्रावली

(मांगेलाल बुडानिया)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीगंगानगर

—:: कार्यालय आदेश ::—

इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक जिशिअ/मा/गंगा/मान्यता/2016/329/दिनांक 08.10.16 के अनुसार तरुण एकेडमी एपर प्राइमरी स्कूल 6 पीजीएम अनूपगढ़, श्रीगंगानगर को उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर हिन्दी माध्यम से क्रमोन्नत किया गया था। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/माध्य/अ-2/21313/संशोधन/2016-17/दिनांक 25.11.16 के द्वारा आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त विद्यालय का माध्यम हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी किया जाता है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।



(मॉगेलाल बुडानिया)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक श्रीगंगानगर

दिनांक 10-12-2016

क्रमांक जिशिअ/मा/गंगा/मान्यता/2016/371

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर।
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर मंडल बीकानेर।
4. संबंधित संस्था
5. रक्षित पत्रावली


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक श्रीगंगानगर